

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमर्ताड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 1.991 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 3.982 है0 जो ग्राम गौंसी राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या -112 के पैमाईशी खेत नम्बर 3336 रकवा 19.120 है0 मध्ये रकवा 3.982 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या-2173/XViii(1)/2012-18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू0सी0पी0/06/97/2017/एफ0सी0/267 दिनांक 11.05.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या - 194 / छबीस - 22वन / 2017-18 दिनांक 20/7/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 3- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करीय जाना सुनिश्चित करें।

जनप्रति सहायक

20/7/18

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।